45

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1175–एक/2006. – विरूद्व – आदेश दिनांक – 29–6–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 167/2005–06 अपील

हुकुम सिंह पुत्र मातादीन तोमर
ग्राम चिराई भौनपुरा तहसील
गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

उदल सिंह दत्तक पुत्र रामप्रसाद तोमर
ग्राम चिराई भोनपुरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री राजेश जैन)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 167/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–6–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम भोनपुरा की आराजी कमांक 2205 बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 2546 रकबा 0.32 विसवा उदल सिंह अनावेदक के नाम थी किन्तु हलका पटवारी ने खसरे में इस भूमि पर आवेदक का नाम खसरे के खाना नंबर

12 में कब्जेदार के रूप में अंकित कर दिया, जिसके सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी ने प्रकरण कमांक 5/03—04 अ—6—अ में पारित आदेश दिनांक 8—7—05 से उदल सिंह का आवेदन ऑशिकरूप से स्वीकार कर कर पटवारी व्दारा कब्जे वावत् की गई प्रविष्टि को अधिकारिंता रहित माना किन्तु सर्वे नंबर 2546 रकबा 0.32 विसवा पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 84/04—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—3—06 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 167/2005—06 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—6—2006 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार बार सूचना पत्र भेजने पर सम्यक निर्वहन की जानकारी के अभाव में अंत में रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजा गया, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के अपील प्रकरण क़मांक 167/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 29—6—2006 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से प्रकरण में विचार करना है कि क्या अनावेदक उदल सिंह के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 2546 रकबा 0.32 विसवा **पर** नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी ने प्रकरण कमांक 5/03—04 अ—6—अ में पारित आदेश दिनांक 8—7—05 से आवेदक का कब्जा दर्ज करने का लिया गया निर्णय उचित व नियमानुसार है ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 115, 116 – इन धाराओं के अधीन अशुद्व प्रविष्टियों को शुद्व किया जा सकता है किसी नये अधिकार की या हित वावत् नई प्रवष्टि नहीं की जा सकती है।

स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी व्दारा प्रकरण कमांक 5/03—04 अ—6—अ में पारित आदेश दिनांक 8—7—05 नियम विरूद्व होने से दोषपूर्ण है तथा अनुविभागीय अधिकारी गोहद व्दारा प्रकरण कमांक 84/04—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—3—06 में उक्त तथ्यों पर ध्यान न देते हुये अपील निरस्त करने में त्रृटि की गई, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 167/2005—06 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—6—2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं जिसके कारण अपर आयुक्त का आदेश दिनॉक 29—6—2006 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 167/2005—06 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—6—2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर